संख्या-186/2019/2580/22-2-2019-17(723)/2019

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 05 दिसम्बर, 2019***

विषय:- जिला कारागार, बस्ती में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी राजाराम पुत्र श्री रामनाथ चौधरी, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-27774/प्रोबे0-5/दयायाचिका बैढक-06-08-2019 दिनांक 06-09-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी राजाराम पुत्र श्री रामनाथ चौधरी, जो सियाकटाई, थाना-दुधारा, जनपद-संतकबीर नगर का रहने वाला है। बन्दी द्वारा जमीनी विवाद को लेकर दिनांक 10/11.06.1999 को 09 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर 04 व्यक्तियों की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को विशेष सत्र परीक्षण संख्या-337/2000 में भा0द0वि0 की धारा-148, 307/149, 302/149 व 7 क्रि0 लॉ अमेन्डमेन्ट एक्त 1932 एवं धारा-**3(2)(5)** अनु0जा0/अनु0जन0जा0 अत्या0 निवा0 अधि0 के अन्तर्गत मा0 विशेष न्यायाधीश, एस0सी0/एस0टी0 एक्ट बस्ती के आदेश दिनांक 12.05.2004 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश दिनांक 15.12.2009 तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 17.08.2017 द्वारा यथावत रखा गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 20.10.2018 तक 08 वर्ष 05 माह 04 दिन की अपरिहार सजा तथा 10 वर्ष 07 माह 28 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति की गयी है किन्तु दयायाचिका समिति द्वारा बंदी की काटी गयी सजा, कारित अपराध की प्रकृति के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि विषयांकित बन्दी राजाराम (बन्दी संख्या पुराना-2064/2004, नया-4254/10) पुत्र श्री रामनाथ चौधरी, निवासी जनपद-सन्तकबीर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-186/2019/2580(1)/22-2-2019 तददिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, सन्तकबीर नगर।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, बस्ती।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in